जिला परिषद के अध्यक्ष की शक्तियाँ एवं कार्यों को लिखें ?

****

त्रिस्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था की सबसे बड़ी इकाई जिला परिषद होती है ।जिसका प्रमुख जिला परिषद अध्यक्ष होता है। जिला परिषद अध्यक्ष को कई ऐसी कार्य एवं शक्तियां प्रदान की गई है जो निम्नलिखित है। :-

1 जिला परिषद की बैठक का आयोजन और अध्यक्षता तथा उसका संचालन करेंगे,
2.जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी पर और उसके माध्यम से जिला परिषद के सभी पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों पर तथा ऐसे पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों पर, जिनकी सेवायें राजय सरकार द्वारा जिला परिषद को सौंपी गई हो, पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेंगे,
3.ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेंगे तथा ऐसे अन्य कृत्यों औरर् कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो जिला परिषद सामान्य संकल्प द्वारा उसे निदेशित करे या सरकार एतदर्थ

निर्मित नियमों द्वारा विहित करे।
4.पंचायत समिति का वित्तीय और कार्यपालिका प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण रखेगा और उससे संबंधित ऐसे सभी प्रश्नों को पंचायत समिति के समक्ष रखेगा जिसके संबंध में इसे ऐसा लगे कि उस पर पंचायत समिति का आदेश आवश्यक है ओर इस प्रयोजनार्थ पंचायत समिति के अभिलेखों की मांग कर सकेगा, और
जिला में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को तत्काल राहत देने के लिए उसे एक वर्ष में कुल एक लाख रूपये तक की राशि स्वीकृत करने की शक्ति होगी।
परन्तु जिला परिषद की अगली बैठक में अध्यक्ष ऐसी स्वीकृति का ब्यौरा जिला परिषद के समाधान के लिए प्रस्तुत करेगा।

8:05 AM ✓